

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 128/2023-24

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 178, दिनांक- 31.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. मंटुपद हाजरा हाजरा, 2. बिनोदानन्द हाजरा, 3. विश्वनाथ हाजरा, 4. दिलीप हाजरा, सभी के पिता- स्व0 भिखुलाल हाजरा, साकिम- पण्डुकी, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- काशीटॉड़, मौजा नं0- 93, पुराना खाता सं0- 12, पुराना प्लॉट सं0- 661, नया खाता सं0- 114, नया प्लॉट सं0- 707, रकवा- 10 डिसमील भूमि क्रेता संजु कुमारी, पिता- परमानंद रजक, साकिम- नियर शिव मंदिर, ओल्ड कॉलनी जगजीवन नगर, थाना- सरायढेला, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित वर्ग के दुसाध एवं धोबी जाति के हैं तथा विक्रेता थाना- बरवाअड्डा एवं क्रेता थाना- सरायढेला, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास उक्त खाता में 78 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।